Grams : ALINDIABAR, New Delhi
E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel : (91) 011-4922 5000
Fax : (91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, New Delhi - 110 002

BCI: D: 883 /2015 (LE) Date: [illegible]

The Registrar
Ch. Charan Singh University,
Meerut,
Uttar Pradesh

Sub: Extension of approval of affiliation to Bhagwati College of Law, Meerut, Uttar Pradesh for imparting three year LLB and five year BA LLB law course with an intake of two sections with 60 students in each section.

Sir,

The Bar Council of India at its meeting held on 6th June, 2015 considered the inspection report and recommendations of Legal Education Committee of the above mentioned college. After consideration the Council decided as follows: -

> The Bar Council of India considered the reply submitted by the college. After consideration, the same is approved. Office to proceed.
>
> In view of the above, **Bhagwati College of Law, Meerut, Uttar Pradesh** be granted **extension of approval** of affiliation for running **three year LLB and five year BA LL.B** course with an intake of **two sections** of 60 students in each section in each course for a period of **three years** i.e. for the academic years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 subject to the following conditions and also subject to payment of one inspection fee for the above period: -
>
> The period from the year 2012-13 to 2014-15 is also regularized.
>
> 1. The college management is directed to establish the Legal Aid Centre as per Clause-11, Schedule-III of Rule-11 of the Part-IV of the Legal Education Rules – 2008.
> 2. College should ensure the payment of salary to teachers as per Rules as schedule III, Part IV of BCI Rules.
> 3. The institution is directed to upgrade the library by investing minimum Rs. 50,000/- per year.
> 4. Teacher Student ratio shall be as per Schedule-III, Rule-11, Clause-17, Part-IV of Bar Council of India Rules.
>
> Institution should submit affidavit in compliance to the above conditions within six weeks.
>
> Further, the books in the library seem to be very little. As per the rules of the Bar Council of India minimum requirement for library is hereunder. The college must follow this rule and invest Rs. One lakh if the college runs both the streams. The relevant Rule 15 of Schedule III of Legal Education Rules 2008 is given below: -
>
> "*Minimum Library requirement: To start with, a Law Library shall have a set of AIR manual, Central Acts and Local Acts, Criminal law Journal, SCC, Company cases, Indian Bar Review, selected Judgments on Professional Ethics* [illegible]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :- सम्बद्धता/1041
दिनांक :- 15.03.2007
5.5

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ लॉ,
एन0एच0-58, सिवाया, रूड़की रोड,
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 2938/जी.एस. दिनांक 12.02.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन **भगवती कालेज ऑफ लॉ, एन0एच0-58, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ** को स्नातक स्तर पर विधि संकायान्तर्गत **एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **भगवती कालेज ऑफ लॉ, एन0एच0-58, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ** को स्नातक स्तर पर विधि संकायान्तर्गत **एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 सी0 गुप्ता)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0 सी0 गुप्ता)
कलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2259
दिनांक : 6/11/09

सचिव,
भगवती कालेज ऑफ लॉ,
एन0एच0–58, सिवाया, रूड़की रोड,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–2512/सत्तर–2–2009–2(570)/2008, दिनांक 30.09.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **भगवती कालेज ऑफ लॉ, एन0एच0–58, सिवाया, रूडकी रोड, मेरठ** को **एल–एल0बी0 (पाँच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन सत्र **2008–2009 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों का प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–285/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश संख्या–4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **भगवती कालेज ऑफ लॉ, एन0एच0–58, सिवाया, रूड़की रोड, मेरठ** को **एल–एल0बी0** (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र **2008–2009 से** सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

(वी0के0 सिन्हा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 सिन्हा)
कुलसचिव